आयकर अपीलीय अधिकरण
इंदौर (एक सदस्यीय प्रकरण) न्यायपीठ, इंदौर

श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य के समक्ष

आ. अ. सं. 671 तथा 672 /इंदौर/ 2017
निर्धारण वर्ष : 2006-07 तथा 2007-08

श्रीमती हरजीत कौर छाबडा इंदौर	बनाम	सहायक आयकर आयुक्त 3(1), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एईएनपीसी 3830 पी		

अपीलार्थी की ओर से :	सर्वश्री अजय तुलसीयान तथा अमितेष जैन, सीए
प्रत्यर्थी की ओर से :	श्री पी.के.मित्रा, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि

सुनवाई तिथि :	16.10.2018
उद्घघोषणा तिथि :	16.10.2018

आदेश

श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के लिए निर्धारिती द्वारा ये अपीलें विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-III, इंदौर के अलग-अलग आदेशों दोनो दिनांक 31.08.2017 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई हैं ।

2. सुनवाई के प्रारंभ में ही, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारिती को सुनवाई का कोई उचित, तर्कसंगत

तथा सार्थक अवसर नहीं दिया गया था । विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रकरण के गुणागुण का परीक्षण किए बिना आक्षेपित एक पक्षीय आदेश पारित किया था । अतः यह अनुरोध किया गया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) को इस संबंध में निदेश दिए जाए । दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेशों पर निर्भरता रखी परंतु निर्धारिती के निवेदनों का खंडन नहीं किया ।

3. मैंने दोनो पक्षों को सुना है तथा निम्न प्राधिकारियों के आदेशों का अवलोकन किया है । मैंने पाया कि वर्तमान अपीलों में, निर्धारिती को उचित एवं प्रभावी अवसर नहीं दिया गया था । इसके अतिरिक्त, विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने आदेश गुणागुण पर पारित नहीं किया था जो कि न्यायसंगत नहीं है । अतः, न्याय के हित में, मैं विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश को अपास्त करना उपयुक्त समझते हूँ । ये अपीलें निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात विधि के अनुसार गुणागुण पर निर्णयित करने के निदेश के साथ विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) की फाईल में प्रतिप्रेषित की जाती हैं तथा निर्धारिती को भी इस संबंध में विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष उपस्थित होने/ सहयोग करने का निदेश दिया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपीलें सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती हैं ।

यह आदेश 16.10.2018 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-
(कुल भारत)
न्यायिक सदस्य

दिनांक : 16.10.2018

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल